न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ. रविन्द्र गोस्वामी I.A.S.

प्रकरण संख्या –18 / 2025 (अपील)
जीसीएमएस नं0 2025 / 34

रणजीत पुत्र रतन जाति गुर्जर निवासी कूकड़ा खुर्द तहसील चेचट जिला कोटा राज0

––अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार चेचट जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी न्यायालय तहसीलदार चेचट मि0नं0 330 / 2024 निर्णय दिनांक 27.11.2024 उनवान सरकार बनाम रणजीत

उपस्थिति
1. श्री अंसार अहमद अभिभाषक अपीलान्ट
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक :– 17.03.2025

1 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय़ तहसीलदार चेचट ने ग्राम कूकडा खुर्द की चारागाह भूमि के खसरा नम्बर 281 की 0.40 हे0 में संवत 2081 में अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर फसल ज्वार बोने की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 330 / 2024 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखली एवं 30 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित के आदेश किया जाकर 100 / –रूपये की शास्ति आरोपित करते हुए दिनांक 27.11.2024 से अपना निर्णय पारित किया है।

2 उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 28.01.2025 को पेश की गई है । अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित । वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में अंकित तथ्य को ही बहस मानते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया । पेरोकार सरकार को सुना गया ।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील मेमो में अंकित किया कि अपीलान्ट को ग्राम कूकडा खुर्द की आराजी खसरा नम्बर 281 रकबा 0.40 हे0 चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखल करने का तथा 100 / – तावान वसूल करने का तथा 30 दिन की सिविल कारावास से दंडित करने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को प्रोपर सूचना दिये बिना अपनी जवाब देही करने का साक्ष्य पेश करने का तथा पटवारी हल्का से जिरह करने का मौका प्रदान किये बिना ही निर्णय जेर अपील प्रदान किया है । विवादित आराजी पर अपीलान्ट ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं किया है ना ही पूर्व में उसे बेदखल ही किया गया है । अपीलान्ट ने उक्त आराजी से अपना कब्जा छोड दिया है तथा तावान जमा करवा दिया है । आदेश जेर अपील अपीलान्ट की अनुपस्थिति में प्रदान किया गया है, अपीलान्ट को आदेश जेर अपील की सर्वप्रथम जानकारी 7.1.2025 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने तथा तहसील में पेश करने पर वहां पर जमानत करने पर जानकारी हुई, उक्त प्रकार जानकारी होने पर उसी दिन नकल का प्रार्थना पत्र दिया जिस पर दिनांक 9.1.2025 को नकल प्राप्त कर प्रथम जानकारी से अपील अवधि मध्य पेश है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील निरस्त किया जावें तथा अपीलान्ट की सजा का आदेश निरस्त किया जावें ।

जिला कलक्टर
कोटा

4 पेरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी ली जाकर प्रकरण दर्ज कर नोटिस पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दिया है। रिपोर्ट पटवारी से अतिक्रमण, पश्चातवर्ती अतिक्रमण सावित होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है। अपील अस्वीकार योग्य है ।

5 हमने उभयपक्ष की बहस बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.11.2024 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 28.01.2025 को पेश की गई है। जो मियाद बाहर है । मियाद के शमन के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी दिनांक 07.01.2025 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने आने पर होना बताया है । प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना उचित होने से धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जाती है ।

6 अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि रणजीत पुत्र रतन जाति गुर्जर निवासी कूकडाखुर्द द्वारा संवत 2081 में ग्राम कूकड़ा खुर्द की चारागाह भूमि खसरा नम्बर 281 की रकबा 0.40 हे0 पर अतिक्रमण कर फसल ज्वार बोया हुआ है । इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अर्न्तगत दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि के बावत नोटिस जारी किया जाकर सुनवाई करते हुए उसे बेदखल करते हुए 100/– रूपये का जुर्माना तथा पश्चावर्ती अतिक्रमी मानते हुए एक माह (30 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।

7 अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा हटाया जाना और तावान जमा कर दिया जाना तथा भविष्य में भी उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए तत्पर होना बताया है। ऐसी स्थिति में अपील आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8 अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलांट ने विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया हो, तावान जमा करा दिया हो तथा भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत अन्डरटेकिंग अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश जारी होने की तारीख से एक माह के अन्दर प्रस्तुत कर दे तथा कब्जा हटाने की पुष्टि तहसीलदार चेचट स्वयं कर ले तो इस स्थिति में एक माह (30 दिवस)के सिविल कारावास का दण्ड निरस्त किया जाता है एवं शेष आदेश बाबत बेदखली एवं तावान कायमी यथावत रखा जाता है। अपीलांट नियत अवधि में अण्डरटेकिंग अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने में असफल रहता है तथा मौके पर से कब्जा नहीं हटाया जाता है तो तहसीलदार अतिकमी अपीलांट को नियमानुसार सिविल कारावास की सजा भुगतायेगा ।

9 निर्णय आज दिनांक 17 .03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा